

**न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा**  
**भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-152/2022**  
**सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत**  
**श्री सुरेश कुमार एवं अन्य--विक्रेता**  
**प्रति**  
**श्रीमती पुनिता देवी— क्रेता**  
**--आदेश--**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री सुरेश कुमार, 2. श्री उमेश कुमार, दोनों के पिता-स्व० मुनेश्वर, ग्राम-राजी, पोस्ट-राजी, थाना-खरौधी, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती पुनिता देवी, पति-श्री राम चौधरी, ग्राम-राजी, पोस्ट-राजी, थाना-खरौधी, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, खरौधी से आवेदन पत्र में दर्जित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, खरौधी के पत्रांक 45/दिनांक 24.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेतागण के पिता एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के कुर्मी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के कुर्मी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण देखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, खरौधी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता 1. श्री सुरेश कुमार, 2. श्री उमेश कुमार, दोनों के पिता-स्व० मुनेश्वर, ग्राम-राजी, पोस्ट-राजी, थाना-खरौधी, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती पुनिता देवी, पति-श्री राम चौधरी, ग्राम-राजी, पोस्ट-राजी, थाना-खरौधी, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।


**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
राजी	08	200	2184, 2185	0.36	उ०-पक्की रोड, द०-भगवान साव, पू०-अम्बिका साव, प०-रामप्यारी चौधरी,
		200	2183	0.31½	
कुल रकबा:-				0.67½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, श्री बंशीधर नगर को भेजे।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
03/03/23

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

  
03/03/23

अपर समाहर्ता,  
गढ़वा